न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–49/2017

रामनारायण प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दीपक कुमार उर्फ यमुना प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

10.03.21 उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.12.20 तथा प्रतिवादीगण के प्रत्युत्तर दिनांक 17.12.20 पर आदेश हेतु नियत है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण का निषेधाज्ञा आवेदन मूल रूप से दिनांक 19.12.17 को उभय पक्षों को सुनकर निस्तारित करते हुए एक साल तक यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था तथा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान् जिला न्यायाधीश, प0 चंपारण के न्यायालय में विविध अपील संख्या–1/18 दाखिल किया गया जो श्रीमान् जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संपुष्ट किया गया था। यह कि दिनांक 19.12.17 को पारित आदेश को 2 बार विस्तारित करते हुए दिनांक 19.12.20 तक यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया था। यह कि उक्त आदेश दिनांक 18.12.20 को समाप्त हो रहा है। यह कि प्रतिवादीगण काफी उग्र हैं तथा उभय पक्षों के बीच कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु आमादा हैं तथा उक्त आदेश की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। यह कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रस्तुत वाद में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, इसलिए वादग्रस्त भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पूर्व आदेश दिनांक 19.12.19 को वाद के अंतिम निस्तारण तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आदेश को वाद के अंतिम निस्तारण तक विस्तारित किया जाय।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादीगण को प्रस्तुत आवेदन दाखिल करने हेतु सुविधा का संतुलन प्राप्त नहीं है, न ही वादीगण का उक्त आवेदन निरस्त होने से उनको कोई अपूर्णीय हानि होने की संभावना है। यह कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 19.12.17 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वर्ष के लिए यथा स्थिति का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने श्रीमान् जिला न्यायाधीश, बेतिया के यहाँ विविध अपील दाखिल किया जो निरस्त हो गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण को माननीय उच्च न्यायालय जाना था तब तक एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। पुनः वादीगण द्वारा दिनांक 15.12.18 को उक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया जिसकी प्रति प्रतिवादीगण या उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई थी, न ही उन्हें सुनने का अवसर दिया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.18 को निषेधाज्ञा आदेश को पुनः एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने दिनांक 21.12.18 को उक्त आदेश को खंडित करने हेतु आवेदन दिया गया जिसका प्रत्युत्तर नहीं देने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी तथा उनके आवेदन का निष्पादन नहीं हो सका। वादीगण द्वारा पुनः दिनांक 23.11.19 को निषेधाज्ञा आदेश के विस्तार हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसका प्रतिवादीगण की ओर से बहस भी किया गया, लेकिन पुनः निषेधाज्ञा आदेश को विस्तारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध श्रीमान् जिला न्यायाधीश के यहां अपील संख्या–3/2020 लंबित है। यह कि प्रस्तुत वाद में सर्वे ज्ञात अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर वादी की ओर से नहीं दिया गया है। यह कि निषेधाज्ञा आदेश विस्तारित करने से पूर्व सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन अभिलेख

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–49/2017

रामनारायण प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दीपक कुमार उर्फ यमुना प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **दिनांक 10.03.21**

पर रहना आवश्यक है, जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है या नहीं। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नहीं हुई है तथा प्रतिवादी संख्या–1 तथा 3 का जो घर बन रहा था उसका निर्माण सामग्री बर्बाद हो रहा है, लेकिन वादीगण के पास कोई बंटवारा या स्वत्व का प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वादपत्र के मद नं0–3 में किया गया है, पर अपने अधिकार, स्वत्व की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि के साथ ही अन्य अनुतोषों हेतु दाखिल किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.17 को उभय पक्षों को सुनने के पश्चात गुण–दोष के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 19.12.2018 तक यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था तथा न्यायालय की अनुमति के वगैर वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभय पक्ष कोई भी विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करेंगे। पुनः उक्त आदेश को क्रमशः दिनांक 19.12.19 एवं 19.12.2020 तक विस्तारित किया गया था। वादीगण द्वारा पुनः दिनांक 19.12.17 को पारित आदेश को वाद के अंतिम निस्तारण तक विस्तारित करने का निवेदन किया गया है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु आमादा हैं तथा वादग्रस्त भूमि की यथा स्थिति को परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद में सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई है तथा उनके द्वारा प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में जब सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे उससे स्पष्ट हो जायेगा कि वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात तथा दिनांक 19.12.17 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 19.12.19 को पारित आदेश को विस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार दिनांक 19.12.19 को पारित आदेश आज की तिथि से 6 माह अर्थात दिनांक 10.09.21 तक विस्तारित किया जाता है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा अभी वादपद का गठन भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह नियत की जाती है ताकि वाद का निस्तारण दिनांक 10.09.21 तक किया जा सके। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वह वाद के त्वरित विचारण में न्यायालय को सहयोग करें। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वह अनुपस्थित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु गजट प्रकाशन की कार्रवाई करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 17.03.21

अवर न्यायाधीश(प्रथम)